कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-26.10.2025

विषयः- किशोरी को बहला-फुसला कर ले जाने के मामले में बाल अपचारी को थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया, अपहृता/पीड़िता सकुशल बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा गुमशुदा/अपहृता की बरामदगी तथा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व मे थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत मु0अ0सं0- 487/2025 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी से सम्बन्धित अपहृता/पीड़िता को सकुशल बरामद करते हुये नामजद वांछित बाल अपचारी उम्र 17 वर्ष को आज दिनांक-26.10.2025 को समय करीब 11.45 बजे थाना सारनाथ परिसर से पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक 15/10/2025 को वादी मुकदमा ने प्रतिवादी द्वारा अपनी नाबालिक पुत्री उम्र 15 वर्ष को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसके आधार पर थाना सारनाथ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 सौरभ पति त्रिपाठी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

अभिरक्षा मे लिये गये बाल अपचारी का विवरण-

बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अपहृता/पीड़िता, उम्र करीब 15 वर्ष सकुशल बरामद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

दिनांक -26.10.2025 को समय करीब 11.45 बजे, थाना सारनाथ परिसर से।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

मु0अ0सं0 487/2025 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी ।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

थानाध्यक्ष शिवानन्द, उ0नि0 सौरवपति त्रिपाठी थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।